2010 का विधेयक संख्यांक 39

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 28 का प्रतिस्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''**28. वित्त समिति.––**(1) एक वित्त समिति होगी और इसका गठन, पदेन सदस्यों से अन्यथा इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची पर सदस्यों में कोई सहमति नहीं होती है या कार्यकारी परिषद् के किसी मामले पर वित्त समिति की सिफारिशों के साथ सहमत न होने की दशा में मामले को, कार्यकारी परिषद् द्वारा, मामले के ब्यौरे और वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत होने के कारणों सहित, कुलाधिपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।''

धारा 35–क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 35–क का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष, 2003 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 में धारा 35–क अन्तःस्थापित की थी धारा 35–क में निम्नलिखित उपबंध किया गया था :––

> **"35–क. पदों इत्यादि का सृजन.––**विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो" ।

धारा 35–क इसलिए अन्तःस्थापित की गई थी क्योंकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, कृत्यों के निर्बाध निर्वहन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इसलिए उपरोक्त अधिनियम में यह उपबंध किया जाना आवश्यक समझा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा सृजित पद / पोजिशन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही, प्रभावी होंगे । जब से अधिनियम में धारा 35–क अन्तःस्थापित की गई तभी से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की उक्त धारा का लोप किए जाने की माँग रही है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय के कृत्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है । हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का प्रतिविरोध यह है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत निकाय है और इसे पदों के सृजन तथा उन्हें भरने के लिए स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए । इसलिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मामलों को निपटाने के लिए एक समिति गठित की थी । उक्त समिति ने सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 35–क का लोप करने हेतु विचार करने की सिफारिश की है । इसलिए पूर्वाक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री ।

धर्मशाला :
तारीख :....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 39 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2010.

Substitution of section 28.

2. For section 28 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following section shall be substituted, namely:—

"28. Finance Committee.— (1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members and its powers and functions shall be as laid down in the Statutes.

(2) If there is no consensus amongst the members on any agenda in the meeting or in case the Executive Council does not agree with the recommendations of the Finance Committee on any issue, the matter shall be referred by the Executive Council, alongwith the details of the case and the reasons for disagreeing with the recommendations of the Finance Committee to the Chancellor for decision, and the decision of the Chancellor thereupon shall be final".

Omission of section 35-A.

3. Section 35-A of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government inserted section 35-A in the Himachal Pradesh University Act, 1970 in the year 2003. In section-35-A, the following provision was made:—

> **"35-A. Creation of posts etc.—** No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government".

Section-35-A was inserted since the State Government is providing Grant-in-Aid for the smooth functioning of the University, therefore, it was felt necessary to make a provision in the Act ibid that any post/position created by the University shall take effect only after the same has been approved by the State Government. Ever since the insertion of section 35-A in the Act, there has been a demand from the employees and students of the Himachal Pradesh University for the deletion of said section, as it is causing hurdle in the functioning of the University. The contention of the employees of Himachal Pradesh University is that the University is an autonomous body and it should be given free hand in creation and filling up of posts. Thus, in view of the demand of the employees and students of the Himachal Pradesh University, the Government constituted a committee to sort out the issues of the Himachal Pradesh University. The said committee recommended to the Government to consider deletion of section 35-A of the Act ibid. Therefore, it has been decided to carry out amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
The.....2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—